राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांकःएफ 9(4)(33) छात्रवृति / शै.स.2025.26 / सान्याअवि / 06732–6850525 /2588 दिनांक : ई–हस्ताक्षरित 6-11-2025

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एव अर्द्धघुमन्तु समुदाय/मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमो में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से बेव पोर्टल **www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/ scholarship** अथवा एसएसओ पोर्टल पर **स्कॉलरशिप एसजेई एप** अथवा मोबाईल ऐप **एसजेईडी एप्लीकेशन** के माध्यम से ऑनलाईन पेपरलैस छात्रवृति आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु छात्रवृति पोर्टल पर **राजकीय (नवीन)/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं** के पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	10 नवम्बर 2025
4.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु छात्रवृति पोर्टल पर **राजकीय (नवीन)/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं** के पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु अन्तिम तिथि /पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 दिसम्बर 2025

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा–निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए **www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship** अथवा विभागीय बेब साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
18646365
eSign DSC

क्रमांकःएफ 9(4)(33) छात्रवृति / शै.स.2025.26 / सान्याअवि / 06732–6850525 /6589-700 दिनांक : ई–हस्ताक्षरित 6-11-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर्स / कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त............... ।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.. ।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त.......................... ।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त........ ।
16. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त................................ ।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................. ।
18. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त)........... ।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
18646365
eSign DSC